न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 95/2024

अनवान : –

1. युसुफ अली पुत्र इब्राहीम जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढाणी तहसील नोहर हाल मोधुनगर तहसील रावतसर।

– सायल

बनाम्

1. हाकम अली पुत्र बलीमोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. रजाक पुत्र इब्राहीम जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. शरीफ पुत्र इब्राहीम जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. याकुब पुत्र इब्राहीम जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. जाकर पुत्र इब्राहीम जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. सलामू पुत्र इब्राहीम जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. यूनस पुत्र इब्राहीम जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
8. बादोदेवी पत्नी इब्राहीम जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
9. नसीरा बेवा बलीमोहम्मद (फोत)

   9/1–सन्तोष पुत्री नसीरा पत्नी बलीमोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
10. समसु खा पुत्र बलीमोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
11. श्योकत पुत्र बलीमोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
12. शेरमोहम्मद पुत्र बलीमोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
13. गुलाम रसुल पुत्र बलीमोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
14. रफीक खां पुत्र फैजमोहम्मद (फोत)

    14/1–गैमुना पत्नी रफीक खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

    14/2–असलम पुत्र रफीक खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

    14/3–इमरान पुत्र रफीक खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

    14/4–सलीम पुत्र रफीकखां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

    14/5–अख्तर खां पुत्र र[illegible] साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ [illegible]

    14/6–फियम पुत्र रफीक[illegible] 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिल[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

15. जाकिर हुसैन पुत्र फैजमोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
16. युसुफ पुत्र फैजमोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
17. सफीया पुत्र सुभान खां (फोत)
17/1–अब्दुल शकूर पुत्र सफीया जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
17/2–अब्दुल मजीद पुत्र सफीया जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
17/3–श्योक्तअली पुत्र सफीया जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
18. मंगतु पुत्र सुभान जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
19. आमीन पुत्री सुभान जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
20. नेकमोहम्मद पुत्र कमरूदीन (फोत)
20/1–नानू पत्नी नेकमोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
20/2–इशाक मोहम्मद पुत्र नेकमोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
20/3–युसुफ अली पुत्र नेकमोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
20/4–महबुब अली पुत्र नेकमोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 वारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
20/5–जबार खां पुत्र नेकमोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 वारानी कलालों की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
20/6–सीमा बानो पुत्री नेकमोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
21. यासीन पुत्र खलील जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालों की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
22. मकबूल पुत्र खलील जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
23. रफीक पुत्र खलील जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
24. नबाब पुत्र खलील जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
25. याकुब खां पुत्र जमालदीन जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
26. अयूब पुत्र जमालदीन जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
27. अनिल मोहम्मद पुत्र अनवर जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
28. मकबुल (फोत)
28/1–शकूरा पत्नी मकबूल जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
28/2–गुनी पुत्री मकबूल खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
28/3–मजीद पुत्र मकबूल खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

28/4—नाजम पुत्री मकबूल खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

28/5—मैमुना पुत्री मकबूल खां पत्नी मुस्ताक खां जाति कलाल साकिन भानीपुरा मोहल्ला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

29. नवाबखां पुत्र खलील (फोत)

29/1—सलीम पुत्र नबाब खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

30. रफीक पुत्र खलील जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
31. जाफरी पत्नी यासीन जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
32. युसफ पुत्र यासीन जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
33. राकेश पुत्र यासीन जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
34. सदाम पुत्र हाकम अली जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
35. शकूर पुत्र हबीब जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
36. समसूदीन पुत्र हबीब जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
37. कश्मीर खां पुत्र हबीब खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
38. खातुन पत्नी बशीर खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
39. आसमीन पुत्री बशीर खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
40. आमना पुत्री बशीर खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
41. नसीब पुत्र बशीर खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
42. मदीना पुत्री बशीर खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
43. अरशद पुत्र बशीर खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
44. सुमन पुत्री बशीर खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
45. रसीदखां पुत्र बशीर खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
46. रुकसाना पुत्री बशीर खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
47. भंवर खां पुत्र रेशमा पुत्री हबीब खां जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की ढ़ाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
48. ज्योति पत्नी सुरेश कुमार जाति सोनी साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
49. सुशील कुमार पुत्र रामकुमार जाति [illegible] साकिन मुनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
50. मनोज कुमार पुत्र देवीलाल [illegible] तहसील नोहर।
51. कबीर पुत्र हरिसिंह जाति [illegible] तहसील नोहर।
52. कमला बानो पुत्री नेक मोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालो की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ढाणी तहसील नोहर।
53.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
54. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांकः 15/09/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 220/103 की कुल 18.9550 हैक्ट भूमि व खाता स0 222/103 की 0.5060 हैक्ट भूमि व खाता स0 219/103 की 0.1580 हैक्ट भूमि व खाता स0 221/103 की 0.5060 हैक्ट भूमि कुल 20.1250 हैक्ट भूमि में सायल व गैरसायल मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि का खाता मुश्तरका है तथा वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण भूमि की काश्त सीमाए तथा अधिकारों के बाबत फरिकेन आपस में तनाजात रहते है जमाबंदी में काफी हिस्सेदार होने के कारण सायलान के साथ सींव ल लगान व काश्त आदि को लेकर विवाद रहता है। इसलिए सायलान वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार तकसीम करवा पाने के अधिकारी हैं। गैरसायलान सायलान की कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है तथा उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक 1 बीकेके एवं चक 14 बारानी की कृषि भूमि में बिना संपरिवर्तन करवाये गैरसायलान निर्माण कार्य कर रहे है इसलिए सायलान व गैरसायलान के खिलाफ मौके पर निर्माण एवं रहन बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है लेकिन अप्रार्थीगण वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी क्रेतागण को काबिज कराने पर आमादा है। अगर गैरसायलान अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थीगण को ताफ़ैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 220/103 की कुल 18.9550 हैक्ट भूमि व खाता स0 222/103 की 0.5060 हैक्ट भूमि व खाता स0 219/103 की 0.1580 हैक्ट भूमि व खाता स0 221/103 की कुल 0.5060 हैक्ट कुल 20.1250 हैक्ट भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थी संख्या 1 व 11 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है उक्त भूमि में अधिकांश आबादी बस चुकी है एवं उक्त वाद भूमि बाबत पूर्व में न्यायालय हाजा में वाद स0 140/2023 अनवानी युसुफ अली बनाम हाकम अली निर्णित हो चुका है जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के पेश की गई एवं माननीय न्यायालय द्वारा अप्राथी स0 11 को निर्माण कार्य की अनुमति दी है प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड पेश नही किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है एवं बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के संयुक्त खाता की भूमि में निर्माण कार्य करना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के निर्माण कार्य न करे एवं मौका तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि पर निर्माण कार्य कर रहा है तथा उक्त वाद भूमि बाबत पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है जिसकी अपील में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी स0 11 को निर्माण हेतु अनुमति दी गई है प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड पेश नही किया गया है उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त वाद भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व ... भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने ... साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है प्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा पूर्व में निर्मित ढाणी की मरम्मत की जा रही है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
मोहर

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी को निर्माण की अनुमति दी गई है। पत्रावली में प्रस्तुत माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 26.09.2024 अनवानी श्योकत अली बनाम रजाक में अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा निर्माण को भूमि सुधार की श्रेणी में मानकर प्रार्थी को निर्माण की अनुमति दी गई है उक्त अपील में प्रार्थी युसुफ अली जरिये अधिवक्ता उपस्थित है इसलिए प्रार्थी को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय की सक्षम न्यायालय में अपील किया जाना न्यायोचित था अर्थात प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड पेश नही किया है अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 15.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/09/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:21 IST
Reason: SelfAttested